एन. सी. सी. महानिदेशालय द्वारा रेजीमेंट निधि का एकत्र किया जाना

1618. **श्री अनन्त राम जायसवाल :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एन० सी० सी० महानिदेशालय प्रति वर्ष प्रति कैडेट एक रुपया की दर से रेजीमेंट निधि एकत्र करता है ;

(ख) क्या इस राशि को बढ़ा कर 2 रुपया करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो इस धनराशि को व्यय करने का क्या प्रावधान है और इसे किन-किन मदों पर व्यय किया जाता है ; और

(घ) उक्त निधि के लिए एकत्र की गई राशि का ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक मद पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एस कृष्ण कुमार) : (क) से (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय की रेजिमेंटल निधि एक गैर-सरकारी निधि है । इसमें सभी अफसरों, जिनमें राष्ट्रीय कैडेट कोर में कार्यरत सैन्य अफसर भी शामिल हैं, राष्ट्रीय कैडेट कोर के अंशकालिक अफसरों जूनियरज कमीशन अफसरों/गैर-कमीशन प्राप्त अफसरों (और उनके समकक्ष) और राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों से अंशदान लिया जाता है । राष्ट्रीय कैडेट कोर की सी०एस०डी० कैंटीन द्वारा अनुदान प्राप्त कर लिए जाने पर वह उसमें से कुछ प्रतिशत राशि रेजिमेंटल निधि में जमा कर देती है । इस अंशदान की दर कैलेण्डर वर्ष 1990 के अन्त तक प्रतिवर्ष प्रति कैडेट 1 रु० थी । कैलेण्डर वर्ष 1991 से यह अंशदान बढ़ाकर प्रति कैडेट 2/- रु० कर दिया गया । इस निधि के अन्य अंशदाताओं से प्राप्त की जाने वाली अंशदान की राशि को इसी तरह बढ़ाकर दुगुना कर दिया गया है ।

2. एकत्र की गई कुल धनराशि में से 50% राष्ट्रीय केडट कोर यूनिटों, 20% ग्रुप मुख्यालयों, 20% राष्ट्रीय कैडट कोर निदेशालयों को दे दी जाती है तथा शेष 10% राशि राष्ट्रीय कैडट कोर महा-निदेशालय की रेजिमेंटल निधि में जमा कर दी जाती है । जिन कतिपय मदों पर सरकारी धन खर्च नहीं किया जा सकता उन पर इन निधियों से धनराशि खर्च की जाती है । इन निधियों की शेष राशि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों में लगाई जाती है और उस पर मिलने वाला ब्याज रेजिमेंटल निधि में जमा कर दिया जाता है ।

3. रेजिमेंटल निधि से जिन विभिन्न मदों पर व्यय किया जाता है उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(क) राष्ट्रीय कैडट कोर दिवस समारोह तथा इसी तरह के अन्य समारोह जिनमें रस्मी परेड भी शामिल हैं ।

(ख) मनोरंजन कक्षों के लिए फ़र्नीचर ।

(ग) पुरस्कार ।

(घ) ट्राफियां ।

(ङ) पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाएं ।

(च) इन्डोर और आउटडोर खेल

(छ) वाद्य-यंत्र

(ज) अफसरों और कैडेटों की मेसों के लिए बरतन, क्राँकरी एवं कटलरी ।

(झ) अफ़सर मेसों और कैडेटों के मनोरंजन कक्षों के लिए शिविर फर्नीचर ।

(ञ) फोटोग्राफ और एलबम ।

(ट) कैमरा और प्रोजेक्टर ।

(ठ) वर्दी की निजी मदों अर्थात् सैम ब्रॉन बेल्ट, बेंत, पेटी आदि की खरीद ।

(ड) बैंड और बैंडवालों की वर्दी ।

(ढ़) विवरण-पुस्तिकायें एवं, प्रमाण-पत्र ।

(ण) यूनिट के झंडे (उन्हें छोड़कर जिन्हें आर्डनेंस सप्लाई करती है या थलसेना अनुदेश 106/69 और 5/70 द्वारा यथा संशोधित थलसेना अनुदेश 88/65 के तहत रक्षा नियंत्रक लेखा द्वारा दी गई स्वीकृति के अलावा) ।

(त) बधाई पत्र ।

(थ) राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालयों/ ग्रुप मुख्यालयों/यूनिटों तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर की प्रशिक्षण स्थापनाओं का निरीक्षण करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों।सरकारी

अधिकारियों और राष्ट्रीय कैडेट कोर के अफसरों को परोसी जाने वाली चाय एवं जलपान पर कर किया जाने वाला व्यय ।

(ङ) जरूरतमंद अंशकालिक/पूर्णकालिक राष्ट्रीय कैडेट कोर अफसरों, सिविलियन कर्मचारियों, राष्ट्रीय कैडेट कोर की सेवा के लिए विशेष रूप से पुनर्नियोजित शारीरिक अनुदेशक (पी आई) और राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान/यह अनुदान महानिदेशक के आदेश से, राष्ट्रीय कैडेट कोर की ड्यूटी करने अथवा राष्ट्रीय कैडेट कोर शिविर में रहने अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान मरने वाले/विकलांग होने वाले व्यक्तियों को दिया जाना ।

(घ) कैडेटों को छात्रवृत्तियां और प्रोत्साहन ।

(ङ) उप महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर/महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर की पूर्वानुमति से कोई अन्य मद ।

4. पिछले तीन वर्षों के दौरान इस निधि में जमा किए गए इससे खर्च किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न है । [देखिए परिशिष्ट 160, अनुपत्र सं० 61]

पश्चिमी बंगाल में पुरूलिया और बांकुरा में पाई गई प्लूटोनियम

1619. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल के पुरूलिया और बांकुरा जिलों में प्लूटोनियम पाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में, और उसका उपयोग किस प्रकार किए जाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उठता ही नहीं ।

Export of Drugs

1620. SHRI SHAMIM HASEMI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that prices of Indian drugs are lowest in the World;

(b) whether it is also a fact that despite this drug industry in India has been declaring handsome profits;

(c) whether Government propose to expand the production and export of drugs in a big way under new industrial policy ensuring that country's needs are met first; and

(d) whether Government propose to supply drugs, both for human and veterinary use in rural areas through public distribution system or alongwith agricultural input programme as is done in some countries like New Zealand?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS (SHRI CHINTA MOHAN): (a) Sir, it is understood that the retail price of drugs/formulations in the country are lower than those prevailing in US and other Western countries.

(b) Profit of a company would depend on the totality of the activity of that company or the group to which it belongs.

(c) It is the endeavour of the Government to increase production of drugs and pharmaceuticals so as to meet the requirement of the country as well as make dent in the foreign markets to earn necessary foreign exchange.

(d) There is no such proposal under the consideration of this Department.

Price of Formulation Pack of Betamethasone

1621. DR. RATNAKAR PANDEY: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the answer to Unstar-